आई.एस.एस.एन. संख्या : 2454–2458
नवरचना NAVRACHNA
www.grefiglobal.org/journals/navrachna.2019
वर्ष 5, अंक 1–2, जून–दिसम्बर 2019, पृ. 18–24

ग्राम–नगर अन्तर्क्रिया एवं ग्रामीण गतिशीलता के उदीयमान नवीन आयाम

बबिता शर्मा*

ग्रामीण और नगरीय समाज गहन रूप से आपस में अर्न्तसम्बंधित है। ग्रामीण एवं नगरीय सभ्यताएं एक दूसरे के विपरीत नहीं है, बल्कि एक दूसरे की पूरक अवश्य कही जा सकती है। ग्रामीण समाज पर विचार–विमर्श उतना ही प्राचीन है जितना कि स्वयं ग्रामीण समाज। ग्रामीण समाज की आधारभूत विशिष्टताओं तथा परिवर्तनशील ग्रामीण जीवन की अत्यावश्यक समस्याओं ने प्राचीन, मध्यकालीन तथा प्रारम्भिक आधुनिक कालीन उत्साही समाज विचारकों की रूचि एवं ध्यान का आकर्षित किया है (देसाई, 1997:26)।

डॉ० शर्मा और डॉ० बील्स के द्वारा अध्ययन किये गये गाँव बड़े नगरों के निकट हैं। जो कि निकट भविष्य में उपनगर में परिवर्तित हो जाएंगे। हलॉकि वर्तमान में उन्होंने कई ग्रामीण लक्षण बचाकर रखें हैं। नगर से निकटता को दूरी नहीं अपितु सम्प्रेषणीयता के मायनों में देखा जाना चाहिए। नगर से पचास किमी० दूर, लेकिन मोटर मार्ग पर स्थित गाँव उस गाँव की तुलना में अधिक नगर के सम्पर्क में आता है जो वैसे तो 15 किमी० की दूरी पर किंतु मोटर मार्ग से परे है। यह बिंदु ग्राम–नगर अन्तक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। (श्रीनिवास, 2000: 11)

ग्राम्य जीवन ऐसे अनिश्चित संक्रमण से गुजर रहा है कि उसके निश्चित स्वरूपों का वर्णन करना कठिन हो गया है। गाँव वाले बाह्य प्रभावों से प्रभावित होते हुये भी आय के पुराने सहज स्त्रोतों से चिपके हुए हैं। जनसंख्या के दबाव ने बहुत से दस्तकारों को खेती अपनाने के लिए मजबूर किया है। भुगतान से अप्रथा पोषित अपर्याप्त मानदण्डों ने बहुतों को रूपया पैदा करने वाले धंघो की ओर ढकेल दिया है। हमारे गांव के सामाजिक और आर्थिक संगठन पर भारत के विश्व बाजार में प्रवेश की प्रभावशाली प्रतिक्रिया हुयी है। (मजूमदार, 1985)।

गांवों को एक इकाई के रूप में देखना प्रश्न का एक पहलू है। इसमें गांव की समय की दृष्टि से जो भी सामाजिक गतिविधियाँ गांव में या बाहर से आती है, स्पष्ट की जाती है। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि बाहरीशक्तियाँ किस भांति गांव में आते–2 अपना रूप संशोधित कर लेती है और गांव

---

*शोध छात्रा, समाजशास्त्र विभाग, डा० राम मनोहर लोहिया अवध विश्व विद्यालय, फैजाबाद, उ.प्र.।

की इकाई उन्हें इन सब परिवर्तनों के तत्वों के बीच किस भांति खपा सकती है? एड्रियन मेयर ने गांव को केन्द्र बिन्दु मानकर उसकी बाहरी दुनिया के जिन सम्बंधों को गांव वाले बनाते है, उनके द्वारा आंकने का प्रयत्न किया। इस प्रकार गांव और उसके बाह्य सम्बंध उसकी संरचना और उसे प्रभावित करने वाले परिवर्तनों दोनों को समझने में सहायक होते है (चौहान, 1988: 9)।

पचास के दशक के अध्ययनों ने ग्रामीण अध्ययनों को नवीन आयाम दिया। नयी अवधारणाएं विकसित हुयी तथा एक ग्राम, द्विग्राम तथा बहुग्राम आधारित अध्ययनों की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर हुयी (चौहान, 1974:97)। एक गांव के अध्ययनों में दुबे (1955) द्वारा आंध्रप्रदेश के तेलांगाना क्षेत्र के शामीरपेट गांव का अध्ययन, मजूमदार (1958) द्वारा लखनऊ के समीप मोहाना गांव का अध्ययन तथा वाइजर (1956) द्वारा उत्तर प्रदेश के करीमपुर गांव का अध्ययन महत्वूपर्ण हैं।

भारतीय ग्रामीण अध्ययनों में परिवर्तन के अध्ययनों की ओर वैज्ञानिकों का ध्यान आकर्षित हो रहा है। संरचनात्मक प्रकार्यात्मक अध्ययनों में मुख्य उद्देश्य ''परिवर्तन से पूर्व यथाशीघ्र वास्तविक, स्थिति का अध्ययन कर लिया जाए'' था। दुबे (1955) ने *भारतीय ग्राम* में एक अध्याय ''परिवर्तन की प्रवृत्तियाँ'' जोड़ा। सतीश सबरवाल (1971) की पुस्तक ''बियोंड द विलेज'' में नगरीय प्रवृत्तियां महत्वपूर्ण थी। आर्थिक सामाजिक क्षेत्र में हलचल पैदा करने वाले स्थल नगर ही है, अतः परिवर्तन का अध्ययन नगर से ही गांव की ओर देखकर किया जा सकता है (चौहान, 1988:8)।

इस आधार पर ग्रामीण अध्ययनों के सूक्ष्म विश्लेषण से ज्ञात होता है कि ग्राम व नगर आपस में अर्न्तसम्बंधित है। नगरीकरण, प्रवजन, ग्रामीण–नगरीय अंतर तथा ग्रामीण समाज में परिवर्तन के भी अध्ययन हुये हैं। कई आधार पर गांव सन्दर्भित होते रहे हैं तथा कई नये आधार भी ग्रामीण अध्ययनों में समाहित हो रहे है। समाजशास्त्रियों ने ग्राम के संरचनात्मक ढांचे का जातिगत् आधार पर अध्ययन किया तथा गांव के प्रत्येक पक्ष का अध्ययन प्रस्तुत किया है। नवीन सामाजिक प्रवृत्तियां शिक्षा, रोजगार, बेरोजगारी, गरीबी इत्यादि नये अध्ययन प्रश्नों पर भी व्यापक अध्ययन हो रहे है। 1988 से 2002 तक ग्राम–नगर से सम्बंधित मात्र 12 अध्ययन हुये है। इन अध्ययनों में ग्राम–नगर अन्तर्क्रिया, प्रवजन तथा अन्य महत्वपूर्ण विषयों के अध्ययन सम्मिलित हें (जोधका एण्ड डिसूजा, 2009:126)।

किन्तु इन अध्ययनों का गहराई से अवलोकन करने पर ग्राम–नगर अन्तर्क्रिया के अध्ययन की कुछ कमी प्रतीत होती है। एक ग्राम जब नगर से अन्तर्क्रिया करता है तो ग्राम में किस प्रकार परिवर्तन आते है, इस पक्ष पर अध्ययन की आवश्यकता अनुभव होती है। ग्रामीण अध्ययनों में इसको तो प्रकाशित किया गया है कि नगरीकरण बढ़ रहा है, ग्राम नगर का रूप धारण कर रहा है, छोटे ग्राम कस्बों में तथा बड़े ग्राम नगरों में परिवर्तित हो रहे है। शिक्षा, संचार तथा मीडिया ग्राम को प्रभावित करता है, इसका भी अध्ययन समाज वैज्ञानिकों ने किया है। इसके साथ ही साथ एक गांव की दूसरे गांव के सम्बंधों के आधार पर भी अध्ययन हुए। पचास के दशक के ज्यादातर अध्ययन संरचनात्मक थे। सम्पूर्णता को अध्ययन करने का प्रयास था। अस्सी के दशक में सुधार तथा संगठनात्मक कार्यक्रमों एवं आधुनिक प्रवृत्तियों व समस्याओं के अध्ययन हुये है। इन अध्ययनों में ग्राम–नगर सम्बंधों का अध्ययन रेडफील्ड (1955) ने किया, किन्तु वह ग्राम–नगर सातत्य का अध्ययन था। यहाँ अन्तर्क्रियात्मक पक्ष महत्वहीन हो रहा।

शोध प्रपत्र का उद्देश्य

प्रस्तुत शोध प्रपत्र का उद्देश्य ग्राम–नगर अन्तर्क्रिया के माध्यम से ग्रामीण जीवन में उत्पन्न गतिशीलता के नवीन आयामों को प्रस्तुत करना है। ग्रामीण समाज नगर से जुड़कर नित्य कुछ न कुछ

ग्रहण करता है, यह ग्राह्यता ग्रामीण समाज में किस प्रकार के नये सन्दर्भो को उद्घाटित करता है? इस शोध प्रश्न को प्रस्तुत प्रपत्र में विश्लेषित किया गया है।

शोध पद्धति

प्रस्तुत प्रपत्र उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले के बख्शी का तालाब ब्लाक में स्थित रूदही गांव के अध्ययन पर आधारित है। मजूमदार ने 50 के दशक में इस क्षेत्र का अध्ययन कर, इस क्षेत्र में अध्ययन की सार्थकता को सिद्ध किया था।

गांव का चयन उद्देश्यपरक निदर्शन के माध्यम से किया गया तथा वर्णनात्मक शोध प्रारूप के आधार पर गांव का सम्पूर्णतावादी अध्ययन किया गया है। तथ्यों का संकलन प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों स्त्रोतों के माध्यम से किया गया है। प्राथमिक स्त्रोत के अन्तर्गत 'फोकसड् ग्रुप डिस्कशन' किया गया है। प्रस्तुत शोध में आकड़ों के परिमाणात्मक संकलन के स्थान पर तथ्यों के गुणात्मक विश्लेषण पर अधिक महत्व दिया गया है। शोध से सम्बंधित व्यक्तियों का व्यैक्तिक अध्ययन पद्धति से साक्षात्कार किया गया है।

अध्ययन क्षेत्र की पृष्ठभूमि

प्रस्तुत शोध प्रपत्र एक गांव के अध्ययन पर आधारित है। यह गांव लखनऊ जिले से 18 किमी० की दूरी पर बख्शी का तालाब ब्लाक के अन्तर्गत आता है। रूदही ग्राम मूल रूप से मध्यम आकार का गांव है। किन्तु गांव के पास सैनिक हवाई अड्डा स्थित होने के कारण गांव के किनारे–किनारे कई बड़ी कालोनियाँ विकसित हो गयी है जिसने गांव के आकार को वृहत स्वरूप प्रदान कर दिया है। बाह्य रूप से देखने में कभी–कभी गांव को देखकर इसके नगर होने का भ्रम हो जाता है। रूदही ग्राम को ''रूरल–अरबन फ्रिंज'' की संज्ञा दी जा सकती है। क्योंकि यह एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ से नगर शुरू होता है तथा ग्रामीण विशेषताएं भी विद्यमान होती है।

रूदही ग्राम में हिन्दू तथा मुस्लिम दोनों धर्म के लोग निवास करते है। गांव में आयोजित होने वाली रामलीला को हिन्दू–मुस्लिम एकता का लासाकौल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार प्राप्त है। इस पुरस्कार प्राप्त होने का मुख्य कारण रामलीला के सभी पात्रों का मुस्लिम होना है।

रूदही गांव में हिन्दू धर्म की 16 जातियाँ हैं जिसमें यादव, क्षत्रिय तथा लोधी प्रभुत्वशाली जातियाँ है। मुस्लिम जातियों में फकीर, हनीफ, जोगी निवास करती है। गांव में ब्राह्मण नहीं है अनुष्ठानिक कार्यो के लिये अन्य गांवों से बुलाये जाते है या नगर से भी ब्राह्मण बुलाये जाते है। गांव की कुल जनसंख्या 2848 है, जिसमें महिलाओं की 1493 तथा पुरूषों की संख्या 1355 है। सम्पूर्ण देश में महिलाओं की संख्या कम है किन्तु इस गांव में विपरीत आंकड़े परिलक्षित होते है। गांव का टोलों में विभाजन है।

गांव का मुख्य व्यवसाय कृषि था किन्तु कृषि योग्य भूमि के बड़ी मात्रा में बिक जाने से गांव में लगने वाली 'बड़ी बाजार' गांव की अर्थ–व्यवस्था का प्रमुख आधार है।

राजनैतिक क्षेत्र के अन्तर्गत क्षत्रिय एवं यादव जाति में गुटबंदी चलती है। वर्तमान में यादव जाति प्रदेश के साथ गांव में भी सत्ता में है। गांव में मजबूत शैक्षिक संगठन है। गांव में एक प्राइमरी स्कूल, जूनियर स्कूल तथा सरकारी इण्टर कालेज है। बख्शी तालाब चौराहे से जुड़ा होने कारण गांव के किनारे अनेक प्राइवेट स्कूल तथा शिक्षण संस्थान है। गांव में दो बैंक तथा चार प्राइवेट अस्पताल है।

वर्गीय गतिशीलता

गांव में बाजार लगने के कारण निम्न वर्ग (जिसमें मुख्य रूप से अनुसूचित जाति तथा मुस्लिम समूह आते हैं) के परिवारों के लोगों की आर्थिक दशा में सुधार हुआ है। पहले उनकी आर्थिक दशा अत्यंत कमजोर थी। ये लोग खेतिहर मजदूरी का काम करते थे तथा नगर मजदूरी के लिए भी जाते थे। नगर में ये हर तरह का काम, जैसे पुताई, भवन निर्माण, नगर के होटलों में वेटर का काम, बड़ी दुकानों में सामान उठाने–रखने का कार्य करते थे। नगर से सम्पर्क में रहने के कारण इन्हें खरीद–फरोख्त की जानकारी प्राप्त हुयी। इन लोगों ने नगर से सामान लाकर गांव की बाजार में बेचना शुरू कर दिया। ये अपनी छोटी–छोटी दुकानें में सप्ताह में तीन दिन बाजार में लगाते है तथा अन्य दिन शहर काम के लिए जाते है। इससे इनकी आय में वृद्धि हुयी तथा सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ी। इस आधार पर ये निम्नतम् वर्ग से मध्यम वर्ग में आ गये।

इसी प्रकार मध्यम वर्ग के किसानो ने अपनी खेती योग्य जमीनें बेची। जिसका मुख्य कारण नगरीय ठेकेदारों का गांव की जमीन बड़े पैमाने पर खरीदा जाना रहा। ये ठेकेदार गांव के ही दो–चार लोगों को नौकरी पर रखकर किसानों पर हर प्रकार का दबाव डालते है। जिससे वह अपनी जमीन बेच दे। ये किसान जमीन बेचकर उच्च वर्ग में आ गये। ये अब पक्के मकान, चार पहिया वाहन तथा अन्य भौतिक संसाधनों से परिपूर्ण हो गये हैं। इस प्रकार ग्राम–नगर अन्तर्क्रिया वर्गीय गतिशीलता को बढ़ावा देती है। ये गतिशीलता उर्ध्व गतिशीलता भी है तो क्षैतिज गतिशीलता भी इसमें देखने को मिलती है।

सांस्कृतिक गतिशीलता

ग्राम नगर अन्तर्क्रिया ने गांव में सांस्कृतिक गतिशीलता को भी उत्पन्न किया है। ग्रामीण संस्कृति में नगरीय संस्कृति के तत्व समाहित हो रहे हैं। उदाहरण के लिए, गांव में लगने वाला दशहरा मेला ग्राम तथा नगर अन्तर्क्रिया का प्रमुख केन्द्र बन गया है। स्थानीय कलाकारों द्वारा खेली जाने वाली छोटी सी रामलीला को राष्ट्रीय हिन्दू–मुस्लिम एकता का पुरस्कार मिला है। गांव के मेले में टी०वी० चैनल, रेडियो तथा मीडिया कर्मी एवं प्रमुख अखबारों के माध्मय से इसका प्रचार–प्रसार किया जाता है। मेले का उद्घाटन किसी मंत्री द्वारा कराया जाता है। गांव में बड़े स्तर पर नगरीय लोग इस मेले में आते हैं। नगरीय दुकानदार इस ग्रामीण मेले में अपनी दुकाने लगाते है। बड़े नगरों के प्रसिद्ध कलाकार यहां अपने कार्यक्रम को प्रस्तुत करते है।

इस आधार पर मेले के माध्यम से ग्राम–नगर अन्तर्क्रिया होती है। यह अन्तर्क्रिया ग्रामीण समाज में सांस्कृतिक गतिशीलता को जन्म देती है। ग्रामीण मेले की शुरूआत जहाँ शुद्ध मनोरंजन के लिए हुयी थी वहाँ यह राजनीतिक गतिशीलता का भी एक प्रमुख केन्द्र बन गया है। जो भी पार्टी सत्ता में रहती है वह इस मेले को आधार बनाकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करती है। सांस्कृतिक स्तर पर जिस छोटी सी रामलीला से इस मेले की शुरूआत हुयी थी वह अब प्रायः समाप्त सी हो गयी है। रामलीला में गांव के कलाकारों के स्थान पर बड़े नगरों के कलाकार बुलाये जाने लगे है। ग्रामीण मेले ने लघु महोत्सव का रूप ले लिया है।

व्यावसायिक गतिशीलता

ग्राम–नगर अन्तर्क्रिया ने गांव में जातीय गतिशीलता को बढ़ावा दिया है। गांव में सुनार जाति के परिवार का एक सदस्य नगर जाकर किसी मसाला कम्पनी में काम करता था। कुछ पैसे जमा

कर उसने गांव में मसाला चक्की खोली। गांव में मसाला पीसने की चक्की लगायी तथा सुनारी का काम बन्द कर दिया। गांव की नाई जाति का एक सदस्य नगर के बड़े अस्पताल में कम्पाउंडर बन कर कुछ दिन काम करने के बाद गांव में ही अपना छोटा झोलाछाप दवाखाना खोलकर डॉक्टर बन गया। गांव के ही ठाकुर परिवार के ही कई सदस्यों ने कपड़े, परचून की दुकान तथा रेस्टोरेन्ट खोले है। ये बड़े दुकानदार है क्योंकि इन्होंने अपनी जमीनें बेची है तथा ज्यादा पैसे लगाकर महंगा शोरूम बनवाया है।

निष्कर्ष

'ग्राम–नगर अन्तर्क्रिया' के फलस्वरूप जहाँ गांव के लक्षण धीरे–धीरे समाप्त होकर नगर की विशेषताओं को स्थान देने लगे हैं, यह प्रश्न उठने लगा है कि अंततोगत्वा ग्राम व नगर में अंतर ही किस ढंग का है। इस प्रकार अध्ययन क्षेत्र में वर्गीय गतिशीलता के अन्तर्गत जातियाँ वर्गो में परिवर्तित होती हुयी दिख रही हैं तथा निम्न वर्ग मध्यम वर्ग में परिवर्तित हो रहा है। जिसका प्रमुख कारण ग्राम नगर अन्तर्क्रिया के फलस्वरूप ग्रामीण आय में वृद्धि होना है। यहाँ उर्ध्व गतिशीलता के साथ–साथ क्षैतिज गतिशीलता भी देखने को मिलती है। इसके साथ ही सांस्कृतिक गतिशीलता के अन्तर्गत ग्रामीण संस्कृति में नगरीय संस्कृति के तत्व समाहित हो रहें हैं। व्यवसायिक गतिशीलता के अन्तर्गत जातियाँ परम्परागत व्यवसाय का त्याग कर नवीन व्यवसायों को अपना रही हैं जिसने जजमानी व्यवस्था के ढाँचे को चरमरा दिया है। इसी सन्दर्भ में के० एल० शर्मा (1980) ने अपने छः गाँवों के अध्ययन में ग्रामीण गतिशीलता को दर्शाया है। उनके अनुसार सामाजिक गतिशीलता दो दिशाओं की ओर इंगित करती है। जिसमें एक तरफ तो पुराने जमींदार वर्ग हैसियत में नीचे आए हैं तथा दूसरी तरफ नया उभरा अमीर कृषक वर्ग पुराने जमींदारों के स्थान पर अब बुर्जुआ वर्ग के रूप में सामने आ रहा है। इस आधार पर ग्राम–नगर अन्तर्क्रिया ने ग्रामीण गतिशीलता के उदीयमान नवीन आयाम प्रस्तुत किये गये हैं।

ग्राम–नगर अन्तर्क्रिया के इस सत्य को ग्रामीण गतिशीलता के सन्दर्भ में देखा जाना चाहिए कि वर्तमान में यह केवल नगरीकरण की प्रक्रिया नहीं है, जो गांव पर बाहर से असर डाल रही है। जिन लोगों के पास अपनी भूमि है और जो जमींदार हैं, वे भू–स्वामी असरदार हैं, क्योंकि वह ग्रामीणों को खेती में लगा सके। आज गांवो की संरचना ऐसी है जिसमें किसी भी प्रकार की समस्याओं का उपचार मुश्किल नहीं है, क्योंकि नगरीय सेवाओं की उपलब्धता पहले की अपेक्षा अधिक है। यह भी सत्य है कि अब पहले की अपेक्षा ऐसे गाँव अधिक हैं जिनमें संरचनात्मक विकास हुआ है। गाँव से शहर को जोड़ने वाली अच्छी सड़क है। कुछ दशकों पहले ऐसा कुछ भी नहीं था।

कृषि कार्य के प्रति संकोच है जिसके कारण जीविका और सम्मान दोनों के लिए लोग नौकरियाँ तलाश रहें है। ऐसे लोगों का विचार है गाँव एक दिशा में और एक विशेष रूप में बदल रहें है। यही कारण कि गाँव नगरीकरण की ओर मुड़ रहें है। प्रायः परिवर्तन की बातें होती है। कृषि के गतिरोध को समाप्त करने के लिए ग्रामवासी निरंतर प्रयास कर रहें है। शहर गाँव की ओर नहीं आ रहा है। गाँव शहर की ओर मुड़ रहा है, और पीछे टूटे–फूटे कबाड़ से भरा अव्यवस्थित गाँव बचा है। यह अच्छा होगा यदि नगर और ग्राम के सम्बंधों का परीक्षण किया जाए, यह देखने के लिए गाँव किस प्रकार परिवर्तित हो रहें है। गांव के इन स्वरूपों को नगर की संज्ञा भी नहीं दे सकते। गाँव का नगरों से अलगाव हो रहा है, लेकिन सच यही है इसे समझने के लिए एक नई सोच की

आवश्यकता है, जिससे ग्रामीण जीवन के आंतरिक सम्बंधों को समझा जा सके। ऐसी समझ के आधार पर नगर–गाँव सम्बंध को समझा जा सकता है और जिसके माध्यम से संरचनात्मक प्राथमिक आधारों को समझने में सुविधा होगी।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

सिकंदर, के. सी. 2000. समाजशास्त्र और सामाजिक नृविज्ञान में अनुसंधान का तीसरा सर्वेक्षण, वॉल्यूम द्वितीय, माणक पब्लिशर्स प्रा० लिमिटेड।

चौहान, बी. आर. 1974. रूरल स्टडीजः ए ट्रेंड रिपोर्ट। समाजशास्त्र और सामाजिक नृविज्ञान में अनुसंधान का एक सर्वेक्षण (ICSSR), खंड प्रथम, बॉम्बेः पॉपुलर पब्लिकेशन.

चौहान, बी. आर. 1967. राजस्थान का एक गांव। नई दिल्लीः वीर पब्लिशिंग हाउस।

चौहान, बी. आर. 1990. ग्रामीण – शहरी अभिव्यक्ति। इटावाः ए.सी. ब्रदर हाउस।

चौहान, बी. आर. 2009. ग्रामीण जीवनः सकल मूल परिप्रेक्ष्य। नई दिल्लीः कॉन्सेप्ट पब्लिशिंग हाउस।

जोधका, सुरिंदर एस., पॉल डी सूजा। 2009. "ग्रामीण और कृषि अध्ययन", योगेश अटल (संस्करण), भारत में समाजशास्त्र और सामाजिक नृविज्ञान (ICSSR^{4th} Survey) में। नई दिल्लीः प्रसन।

मजूमदार। डी.एन. 1958, एक भारतीय गांव में जाति और संचार। बॉम्बेः एशिया पब्लिशिंग हाउस।

शर्मा, के.एल. 1997, भारत में ग्रामीण समाज, जयपुरः रावत पब्लिकेशन.।

शर्मा, के.एल. (ईडी), 1998, भारत में जाति और वर्ग, जयपुरः रावत पब्लिकेशन।

सिंह, योगेंद्र, 1994, भारतीय परंपरा का आधुनिकीकरण (सामाजिक परिवर्तन का एक व्यवस्थित अध्ययन), जयपुर : रावत पब्लिकेशन।

सेजा, डब्ल्यू एडवर्ड, 1969, "ग्रामीण–शहरी संपर्क"। विशेष अंक; ग्रामीण अफ्रीका, कैनेडियन एसोसिएशन ऑफ अफ्रीकन स्टडीज, वॉल्यूम 3, नंबर 1, पीपी. 284–290।

चौहान, बी० आर०, 1988, भारत में ग्रामीण समाजशास्त्र, इटावाः ए० सी० ब्रदर्स।

देसाई, ए० आर०, 1970, भारतीय ग्रामीण समाजशस्त्र, (अनु० हरिकृष्ण रावत), नई दिल्लीः रावत पब्लिकेशन।

मजूमदार, डी० एन० 1958, कास्ट एण्ड कम्युनिकेशन्स इन एल इण्डियन विलेज, बम्बईः एशिया पब्लिशिंग हाउस।

शर्मा, के० एल०, 1997, भारत में ग्रामीण समाज, जयपुरः रावत पब्लिकेशन।

श्रीनिवास, एम० एन०, 2000, भारत के गांव (अनु० मधु बी० जोशी), नई दिल्ली/पटना, राजकमल प्रकाशन

मजूमदार, डी० एन०, 1985, भारतीय जन संस्कृति, लखनऊ पनार मुद्रक, पेज नं० 199–2000।

'नवरचना' में योगदान के लिये निर्देश

1. *'नवरचना'* मूल रूप से लिखे गये समाजशास्त्रीय शोध–पत्रों का स्वागत करता है। शोध–पत्र (6000– 8000 शब्दों से ज्यादा नहीं) का पृष्ठ के एक तरफ टाइप किया होना तथा पंक्तियों के बीच दोहरी जगह के साथ पृष्ठ के चारों तरफ बराबर हाशिया होना आवश्यक है। शोध–पत्र के साथ (300 शब्दों से ज्यादा नहीं) उसका सामान्य सारांश भी संलग्न होना चाहिए।
2. शोध–पत्र को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टाइप करके ई मेल द्वारा संलग्नक के रूप में *grefiplus2018@gmail.com* पर भेजा जाना चाहिए। लेख के अक्षर Krutidev 011 लिपि में होना चाहिए। अन्य किसी लिपि में टाइप किया हुआ लेख स्वीकार्य नहीं होगा।
3. लेख में उद्धरण के लिए कृपया लेखक दिनांक की प्रक्रिया को अपनाएं, उदाहरण के लिए, (चौहान 2002)। यदि किसी लेखक के एक अधिक लेखों का उद्धरण दिया जा रहा हो तो कृपया प्रकाशन के वर्षों को अल्पविराम द्वारा अलग करें (सिहं 1995, 1999)। उद्धरण के पृष्ठ संख्या को कोलन का प्रयोग कर अलग लिखें (मुखर्जी 1995 : 244) तथा यदि एक से अधिक पृष्ठों का उद्धरण दिया जा रहा हो तो पृष्ठ संख्याओं को हाइफन का प्रयोग कर लिखें (दूबे 1995 : 244–344)। जब एक से अधिक लेखकों का उद्धरण दिया जा रहा हो तो भिन्न लेखकों को कालानुक्रम के हिसाब से सेमी कोलन द्वारा अलग करके लिखें (दूबे 1995; मिश्रा 2005; नारायण 2008)। सह–लेखकों के कार्य के लिए, दोनों के नामों को इस प्रकार उद्धृत करें (फ्रैंक और डेविड 1995); तीन से अधिक लेखकों को उद्धृत करने के लिए, पहले नाम के बाद 'और अन्य' का उपयोग करें (हैल्ड और अन्य, 2010)। अगर राजपत्र रिपोर्ट और सरकारी संस्थाओं के या किसी अन्य संगठन के कार्यों को उद्धृत करना हो तो, जिस संस्था/संगठन ने प्रकाशन को प्रायोजित किया हो तो उसका पूरा नाम लिखें (दिल्ली सरकार 2010), और इन्हें फिर से बाद के प्रसंगों में उद्धृत करना हो तो संस्था/संगठन के नाम का शब्द संक्षेप /लघु रूप लिखें (दि.स. 2010)।
4. लेख में प्रयोग में लाये हुए पुस्तकों का विस्तृत विवरण बाद मे अलग से सन्दर्भ ग्रन्थ सूची इस क्रम में लिखें– (क) लेख : लेखक का नाम; प्रकाशन का वर्ष; लेख का शीर्षक (इन्वर्टिड कोमा में); शोध पत्रिका नाम (इटालिक में); और वोल्यूम सं., अंक सं. और प्रारम्भ और अंत के पृष्ठ सं.। (ख) संपादित पुस्तकों /कार्यों में अध्याय; लेखक का नाम; प्रकाशन का वर्ष; अध्याय का शीर्षक (इन्वर्टिड कोमा में); सम्पादक का नाम; पुस्तक का वर्ष (इटालिक में); अध्याय का शीर्षक (इन्वर्टिड कोमा में); अध्याय के प्रारम्भ और अंत के पृष्ठ सं.; प्रकाशन का स्थल; प्रकाशन का वर्ष; प्रकाशन का नाम। सन्दर्भों की सूची में (पहले) लेखक के उपनाम के वर्णक्रमानुसार रूप से लिखा जाना चाहिए।
5. 'नवरचना' एंडनोट स्वरूप का अनुकरण करता है जो इस प्रकार हैः उन सभी व्याख्यात्मक टिप्पणियों को एक साथ क्रमबद्ध करें जिस क्रम में उन्हें मुख्य लेख में उल्लेखित किया गया है (क्रमांक के आधार पर सुपरस्क्रिप्ट का प्रयोग करके) एवं उन्हें लेख के अन्त में पर सन्दर्भ ग्रन्थ सूची के पहले रखें। एंडनोटस को सन्दर्भ ग्रन्थ सूची में प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए।
6. तालिका, चार्ट, नक्शे, ऑकडे आदि लेख के अन्त में अलग से रखा जाना चाहिए। इन्हें अंकों का प्रयोग कर उपयुक्त शीर्षक/कैप्शन के साथ क्रमानुसार रखें। लेख में उन्हें उनके अंको द्वारा सूचित करें –सारणी 5, नक्शा 1 आदि न कि उनके स्थान द्वारा–जैसे सारणी के ऊपर चित्र के नीचे आदि।
7. अन्य कार्यों से लिए शब्द या वाक्यों को ऐकल उद्धरण चिन्हों के भीतर रखें, दोहरे उद्धरण चिन्हों का उपयोग केवल कोटेशन के भीतर ही करें। यदि कोटेशन पचास शब्दों से अधिक हो तो उन्हें मुख्य टेक्स्ट से अलग लिखें एवं उन्हें पृष्ठ के बाईं तरफ रखें। जब तक पूरा वाक्य उद्धरण का हिस्सा न हो तो विराम चिन्ह उद्धरण चिन्हों के बाहर ही रहना चाहिए।
8. 1से 99 तक के अंकों को शब्दों में लिखें 100 तथा उससे ऊपर के अंकों को ऑकडों में। हालांकि कुछ जगहों पर ऑकडों का प्रयोग किया जाना चाहिए, जैसे दूरीः 3 कि.मी.; उम्रः 32 वर्ष; प्रतिशतः 64 प्रतिशत एवं वर्षः 1995 आदि।
9. योगदानकर्ताओं द्वारा अपने लेख के साथ एक अलग पृष्ठ पर अपना नाम, पद, अधिकारिक पता और ई–मेल भेजना आवश्यक है। उन्हीं लेखों के प्रकाशन पर विचार किया जायेगा जिन्हें पहले कभी प्रकाशित नही किया गया हो या जिन्हें किसी अन्य जगह पर प्रकाशन के लिए विचार न किया जा रहा हो।